



# बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम

(बिहार सरकार का उपक्रम)

कौटिल्य नगर, पटना-14, फोन नं०-2223727, फैक्स नं०- 2224529 2224529

## अल्पकालीन ई-निविदा सूचना संख्या-21/2014

1. निविदाकर्ता का पदनाम : मुख्य अभियन्ता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना। 2. निविदा कागजात डाउन लोड करने की प्रारम्भिक तिथि एवं समय 18-09-2014 के अपराह्न 11.00 बजे से। 3. निविदा कागजात डाउन लोड करने की अन्तिम तिथि एवं समय 20-09-2014 को अपराह्न 17.00 बजे तक। 4. निविदा अप लोड करने की तिथि एवं समय : 22-09-2014 को अपराह्न 15.00 बजे तक। 5. निविदा की तकनीकी बीड खोलने की तिथि एवं समय : 24-09-2014 को 15.30 बजे अपराह्न। 6. निविदा खोलने का स्थान-वेबसाइट [www.eproc.bihar.gov.in](http://www.eproc.bihar.gov.in) पर। 7. निर्माण कार्य का व्योरा :-

क्रमांक	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (लाख ₹ में)	अग्रधन की राशि ₹ में।	परिमाण विपत्र का मूल्य ₹ में	निविदा प्रसंस्करण शुल्क ₹ में	निविदा कार्य समाप्त की अवधि
<b>ई. निविदा से संबंधित कार्य :-</b>						
1.	पटना जिलान्तर्गत आवास सं०-7, सर्कुलर रोड, पटना में पोटा हट- गेस्ट रूम तथा बैरक एवं किचन का निर्माण कार्य	69.00	138000	10000	1124	12 माह
2.	पटना जिलान्तर्गत खगोल थाना में ग्रेड-III थाना भवन का निर्माण कार्य	105.47	211000	10000	5618	12 माह
3.	पटना जिलान्तर्गत श्रीकृष्णापुरी थाना में संयुक्त भवन का निर्माण कार्य	209.92	419900	10000	5618	12 माह
4.	पटना जिलान्तर्गत पटना एच०क्यू०आर०टी० पुलिस परिवहन मुख्यालय में 175 सिपाहियों के बैरक का निर्माण कार्य	206.21	412500	10000	5618	12 माह
5.	पटना जिलान्तर्गत रेल पुलिस लाइन, चीना कोठी, पटना में संयुक्त भवन का निर्माण कार्य	178.94	357900	10000	5618	12 माह
6.	पटना जिलान्तर्गत खगोल थाना में (रामकृष्ण नगर थाना के बदले) 4-अपर सबोर्डिनेट आवास का निर्माण कार्य	52.40	104800	10000	1124	12 माह
7.	पटना जिलान्तर्गत खगोल थाना में 6-लोअर सबोर्डिनेट आवास का निर्माण कार्य	60.49	121300	10000	1124	12 माह
8.	बक्सर जिलान्तर्गत पुलिस लाइन, बक्सर में 300 सिपाहियों के बैरक का निर्माण कार्य	459.33	918700	10000	16854	12 माह
9.	बक्सर जिलान्तर्गत बक्सर में अनु०जाती/अनु०ज० जाती थाना में 6 अपर सबोर्डिनेट आवास का निर्माण कार्य	80.69	161400	10000	5618	12 माह
10.	बक्सर जिलान्तर्गत बक्सर में अनु०जाती/अनु०ज० जाती थाना में महिला थाना का निर्माण कार्य	175.78	351600	10000	5618	12 माह
11.	बक्सर जिलान्तर्गत बक्सर में अनु०जाती/अनु०ज० जाती थाना में 8 लोअर सबोर्डिनेट आवास का निर्माण कार्य	78.62	157300	10000	5618	12 माह
12.	जहानाबाद जिलान्तर्गत परसविधा थाना में 4 अपर सबोर्डिनेट आवास का निर्माण कार्य	53.70	107400	10000	1124	6 माह
13.	जहानाबाद जिलान्तर्गत जहानाबाद टी०ओ०पी०-2 में 4 अपर सबोर्डिनेट आवास का निर्माण कार्य	51.42	102900	10000	1124	6 माह
14.	अरवल जिलान्तर्गत कुर्था थाना में 40 सिपाहियों के बैरक का निर्माण कार्य (अवशेष कार्य)	29.96	60000	5000	1124	6 माह
15.	नालंदा जिलान्तर्गत बिहार थाना में अनु०जाती/अनु० ज० जाती थाना में 6 अपर सबोर्डिनेट आवास का निर्माण कार्य	90.94	181900	10000	5618	12 माह
16.	नालंदा जिलान्तर्गत बिहार शरीफ थाना में 8 लोअर सबोर्डिनेट आवास का निर्माण कार्य	79.69	159400	10000	5618	12 माह
17.	नालंदा जिलान्तर्गत बिहारशरीफ थाना में अनु०जाती/अनु०ज० जाती महिला थाना भवन का निर्माण कार्य	155.00	310000	10000	5618	9 माह
18.	मधेपुरा जिलान्तर्गत चौसा थाना में ग्रेड-III थाना भवन का निर्माण कार्य	56.00	112000	10000	1124	9 माह
19.	पुर्णिया जिलान्तर्गत अकबरपुर थाना में ग्रेड-III थाना भवन का निर्माण कार्य	40.50	81000	5000	1124	6 माह

8. 25 लाख से ऊपर की निविदा ई-टेंडरिंग पद्धति से प्राप्त की जायेगी। इस निविदा की अन्य विस्तृत जानकारी एवं आवश्यक शर्तें अधोस्तकाक्षरी के कार्यालय के वेबसाइट [www.bpbcc.co.in](http://www.bpbcc.co.in) /वेबसाइट [www.eproc.bihar.gov.in](http://www.eproc.bihar.gov.in) तथा निगम कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर दिनांक-18-09-2014 के 11.00 बजे अपराह्न से प्राप्त की जा सकती है।

9. उपरोक्त वर्णित कार्य की 2 करोड़ से ऊपर की निविदा S.B.D. के प्रावधानों के अंतर्गत प्राप्त की जायेगी, जो निविदा 40 लाख से ऊपर की है वह द्वि-बीड पद्धति से प्राप्त की जायेगी एवं 40 लाख से नीचे की निविदा एकल बीड पद्धति से प्राप्त की जायेगी। परिमाण विपत्र की निर्धारित राशि के अतिरिक्त 300 लाख से ऊपर के कार्य के लिए ₹ 15,000/- + 12.36 प्रतिशत सेवा कर के रूप में, 70 लाख से ऊपर के कार्य के लिए ₹ 5,000/- + 12.36 प्रतिशत सेवा कर के रूप में तथा 70 लाख से नीचे के कार्य के लिए ₹ 1,000/- + 12.36 प्रतिशत परिमाण विपत्र के मूल्य के साथ ही शामिल कर लिया गया है जो वापस नहीं होगा। निविदा प्रसंस्करण शुल्क (Bid Processing fee) मात्र ऑन लाईन मोड यथा क्रेडिट/डेबिट कार्ड, नेट-बैंकिंग, NEFT/RTGS से वेबसाइट [www.eproc.bihar.gov.in](http://www.eproc.bihar.gov.in) का उपयोग करते हुए यथा निविदा सूचना में प्रकाशित तिथि एवं समय के पूर्व भुगतान करना अनिवार्य है। निगम विलम्ब/निविदा अपलोड नहीं करने, ईटर्नेट कनेक्शन की अनुपलब्धता, नेटवर्क यातायात/छुट्टियाँ या अन्य कारणों के लिए जवाबदेह नहीं होगा।

**शेष परिमाण विपत्र की राशि राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट जो अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना के नाम से हो तथा पटना में भुगतान दिनांक- 20-09-2014 तक का बना हुआ ही स्वीकार किया जायगा।** प्रत्येक परिमाण विपत्र का मूल्य जो निविदा के सामने उपर अंकित है, को लौटाना नहीं जायगा।

**अग्रधन की राशि/ बैंक ड्राफ्ट मूल कागजात के साथ** बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के मुख्यालय कार्यालय में दिनांक- 22-09-14 तक का बना हुआ ही स्वीकार किया जायगा। ई.निविदा से संबंधित कार्यों के परिमाण-विपत्र का मूल्य तथा विधिवत रूप में अग्रधन की देय राशि ही मूल रूप में निगम कार्यालय में दिनांक 23.09.2014 के अपराह्न 3.00 बजे तक प्राप्त किया जायगा, शेष किसी कागजात को स्वीकार नहीं किया जायगा।

10. बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के समुचित कोटि के निर्बंधित संवेदक एवं अन्य सरकारी विभाग के निर्बंधित संवेदक भी निविदा देने हेतु सक्षम होंगे, परंतु निर्बंधित कार्य आवंटित होने पर एकरारनामा के पूर्व उन्हें निगम में निबंधन कराना आवश्यक होगा। संवेदक द्वारा समान प्रकृति के असैनिक कार्य कराने के अनुभव का साक्ष्य सहित शपथ-पत्र समर्पित करना अनिवार्य है।

11. परिमाण विपत्र केवल उन्हीं संवेदकों को (प्रतिनिधि को नहीं) निर्गत किया जाएगा जो निम्न वर्णित अद्यतन अभिलेखों का अभिप्राणित प्रति आवेदन के साथ संलग्न करेंगे एवं उसकी मूल प्रति जाँच एवं अवलोकन हेतु प्रस्तुत करेंगे :- वाणिज्य कर निबंधन प्रमाण-पत्र, बिडी कर शोधन/श्रमिक निबंधन अनुज्ञापित, निबंधन प्रमाण-पत्र एवं जिला पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक द्वारा देय चरित्र प्रमाण-पत्र। विद्युतिकरण कार्य एवं विद्युतिकरण कार्य सहित भवन की निविदा के लिए विद्युतिकरण कार्य का लाईसेंस एवं पर्यवेक्षक क्षमता प्रमाण पत्र होना अनिवार्य होगा।

12. परिमाण विपत्र की दर से कम दर देनेवाले निविदादाता से Additional Performance guarantee के रूप में अतिरिक्त अग्रधन की राशि एकरारनामा से पूर्व लिया जायेगा।

13. किसी कार्य की प्रथम बार एकल निविदा प्राप्त होने पर उसकी पुनर्निविदा अल्पकालीन निविदा के रूप में आमंत्रित की जायेगी।

14. जो संवेदक निविदा में भाग लेने से बंचित है (Debar), अथवा जिनके पास किसी कारणवश पूर्व से आवंटित कार्य लम्बित रहा है या जो आवंटित कार्य का एकरारनामा नहीं किए हैं या कार्य शुरू नहीं किए हैं, निविदा में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे।

15. प्राक्कलित राशि में कमी या वृद्धि हो सकती है, तदनुसार परिमाण विपत्र के अनुसार ही अग्रधन की राशि देय होगी। समुचित अग्रधन के अभाव में निविदा अमान्य समझी जायेगी। अग्रधन की राशि छः वर्षीय बचत प्रमाण-पत्र/बैंक ड्राफ्ट अथवा, किसान विकास पत्र जो कार्य से संबंधित प्रमण्डल के कार्यपालक अभियंता के पदनाम से विधिवत प्रतिज्ञापित हो मान्य होगा। इसके अतिरिक्त एक करोड़ से अधिक के निविदा हेतु बैंक गारंटी जो निविदा के मान्य अवधि तक के लिये बिहार अवस्थित किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत हो, मान्य होगा।

नोट :- ई-निविदा-पत्र [www.eproc.bihar.gov.in](http://www.eproc.bihar.gov.in) से प्राप्त किया जा सकता है।

ह०/- मुख्य अभियंता, पटना।